राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांकः एफ5(3)प्राशिनि / ई–2 / 2020–21 / 8989 दिनांकः 10/9/20

प्रधानाचार्य,
समस्त,
राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय।

विषयः प्रथम वर्ष 2019–20 में प्रवेशित एवं मई / जून 2020 की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशों बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैः–

1. आपकी संस्थान में अध्ययनरत् प्रथम वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं के वर्ष 2019–20 में शाखा परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नीतिगत दिशा–निर्देश, आवेदन पत्र (Format : BRC-1) एवं अन्य दिशा निर्देश इस पत्र के संलग्न किये जा रहे हैं तथा विभागीय वेबसाईट http://dte.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध करवाये गये हैं। इनका प्रिन्ट आउट लेकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आवदेन पत्र की प्रतियां प्रिन्ट आउट निकाल कर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें। पार्श्व प्रवेश (सत्र 2020–21) में ऑनलाइन काउन्सलिंग के उपरान्त ब्रांचवार रिक्तियों को प्रदर्शित करें।
2. संयोजक पार्श्व प्रवेश द्वारा जारी संस्थानवार प्रवेश सूचियों के उपरान्त रिक्त रहे स्थानों पर ही ब्रांच परिवर्तन किया जाना है। ब्रांच परिवर्तन, प्रथम वर्ष की प्रवेश क्षमता (TFWS को सम्मिलित करते हुए) की सीमा तक किया जाना है। पार्श्व प्रवेश में सम्मिलित प्रवेश स्थान (प्रथम वर्ष प्रवेश क्षमता का 10 प्रतिशत) पर ब्रांच परिवर्तन नहीं किया जावें।
3. इस कार्य हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार रहेगीः–
   a. **शाखा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2020 से 16.09.2020 तक आमंत्रित किये जावे।**
   b. **संस्था स्तर पर एक समिति का गठन कर नियमानुसार शाखा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 17.09.2020 को संस्थान में सम्पन्न की जावे।**
   c. शाखा परिवर्तन Format: BRC-2 to 4 के अनुसार सूचियाँ निदेशालय को अनुमोदन हेतु दिनांक 18.09.2020 तक आवश्यक रूप से निर्धारित प्रारूप में ई–मेल (dte_raj@rajasthan.gov.in) पर सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की जावे। ई–मेल के विषय में "Proposals for branch change" अंकित किया जावे। निर्धारित तिथि / अवधि के पश्चात प्राप्त पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. संस्था स्तर पर किया गया शाखा परिवर्तन निदेशालय से अनुमोदन होने के पश्चात् ही मान्य होगा। यदि आप द्वारा निदेशालय की अनुमति के बिना किसी विद्यार्थी का शाखा परिवर्तन कर, परिवर्तित शाखा में अध्ययन करवाया जाता है तो प्राविधिक शिक्षा मण्डल द्वारा नई शाखा के अनुसार परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जावेगा। इस सम्बन्ध में यदि विद्यार्थी द्वारा किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी संस्था की ही होगी।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

10/09/2020

सयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा

क्रमांकः एफ5(3)प्राशिनि / ई–2 / 2020–21 / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्ड़ल, राजस्थान, जोधपुर।
2. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें, साथ ही समस्त राजकीय / निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को ई–मेल भी करें।

सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा

राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश कमांक प.17(24)त.शि./2001 दिनांक 17.12.2005 के आधार पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्थानान्तरण हेतु नीतिगत दिशा निर्देश के आधार पर ब्रांच परिवर्तन के नियम के अंश निम्नानुसार है।

3. **ब्रांच स्थानान्तरण**

(क) जो विद्यार्थी ब्रांच परिवर्तन करवाते हैं, उनका अन्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।

(ख) तृतीय समेस्टर के प्रारम्भ में एक ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उसी संस्थान (राजकीय एवं निजी) में उपलब्ध शाखा में अन्तर ब्रांच स्थानान्तरण प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम वर्ष के पारीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् किये जावेंगे। ये ब्रांच स्थानान्तरण निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदित होने पर ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(ग) ब्रांच स्थानान्तरण योग्यता के आधार पर होगा। योग्यता सूची, अभ्यार्थी द्वारा प्रथम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के आधार पर आधारित होगी तथा केवल वही छात्र/छात्राऐं ब्रांच के स्थानांतरण हेतु योग्य माने जायेंगे जिन्होने प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषय उत्तीर्ण किये हो। योग्यता सूची वर्गवार तैयार की जायेगी तथा स्थान जिस वर्ग में रिक्त हुआ है उसी वर्ग के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

(घ) उक्त ब्रांच स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही सम्भव होगें:–

(1) वांछित ब्रांच जिसमें से स्थानान्तरण चाहा है, उस संस्थान में उस ब्रांच की स्वीकृत प्रवेश क्षमता से रिक्त रहे स्थानों पर स्थानान्तरण संभव होगी।

(2) जिस ब्रांच से स्थानान्तरण चाहा गया है, उसमें स्थानान्तरण पूर्व अथवा बाद में विद्यार्थी की संख्या स्वीकृत प्रवेश क्षमता से 2/3 से कम नहीं होने पर, स्थानान्तरण सम्भव होगें।

(ङ) पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित नॉन–इन्जिनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या भिन्न होने के कारण ब्रांच परिवर्तन नहीं होंगे।

(च) यदि किन्ही दो विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष के अंक, आरक्षण श्रेणी भी समान हो तो ऐसी विशेष परिस्थिति में प्रथम वर्ष में सैद्धान्तिक प्रश्न पत्रों के समस्त अंकों के योग के आधार पर मैरिट का निर्धारण कर शाखा परिवर्तन किया जावेगा। सैद्धान्तिक परीक्षा के समान अंक होने पर प्रायोगिक के अंकों के योग को देखा जायेगा। प्रायोगिक अंक भी समान होने पर सैशनल अंकों के योग के आधार पर निर्णय किया जायेगा। उक्त समस्त तीनों अंक भी समान होने की स्थिति में विद्यार्थियों के 10वीं के कुल अंकों के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

(राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 11(5)त.शि./2002 पार्ट जयपुर दिनांक 07.12.2016 के अनुसार नवीन बिन्दु (च) जोडा गया।)

Format : BRC-1

शाखा परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र

(सत्र 2020–21)

(पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के **इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों** में नामांकित एवं **प्रथम वर्ष में सभी विषयों में उत्तीर्ण** विद्यार्थियों हेतु)
(यह प्रार्थना पत्र संस्थान स्तर पर उपयोग हेतु ही है, इसे निदेशालय नही भेजा जावे)

1.	संस्थान का नाम	
2.	छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में)	
	(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
3.	पिता का नाम	
4.	स्थायी पता	
5.	छात्र/छात्रा का वर्ग	
6.	नामांकन संख्या (SPN no.)	..../...
7.	डिप्लोमा प्रथम वर्ष का परिणाम	कुल प्राप्तांक.......................... प्रतिशत ....
8.	वर्तमान ब्रांच	(SFS/GAS)
9.	ब्रांच जिसमें जाना चाहते हैं	(SFS/GAS)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त शाखा परिवर्तन हेतु मैंने अपने पिता/अभिभावक से अनुमति प्राप्त कर ली है एवं शाखा परिवर्तन के आदेश जारी होने पर उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकेगा तथा मेरे द्वारा आदेश की पालना की जायेगी।

दिनांक ....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

1. छात्र के प्रार्थना पत्र की जांच कर ली गई है तथा उसके द्वारा दिया गया विवरण सही पाया गया है।
2. शाखा परिवर्तन के संबंध में जारी नियमानुसार शाखा .... से शाखा ....में शाखा परिवर्तन हेतु पात्र होने से उक्तानुसार शाखा परिवर्तन किया जाने की अभिशंषा की जाती हैं /पात्र नहीं होने से उक्तानुसार शाखा परिवर्तन संभव नहीं हैं।*

* जो लागू नहीं हैं उसे काट दें।

दिनांक ....

प्रधानाचार्य

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नामः .... Format : **BRC-2**

....कोड......................

सत्र 2020–21 में शाखा परिवर्तन हेतु आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों का विवरण

क्र.सं.	एस.पी.एन. नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	प्रथम वर्ष			वर्तमान शाखा	चाही गई शाखा
			अधिकतम अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत अंक		

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नामः .... Format : **BRC-3**

....कोड......................

सत्र 2020–21 में नियमानुसार शाखा परिवर्तन का विवरण

क्र.सं.	एस.पी.एन. नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	प्रथम वर्ष के प्रतिशत अंक	वर्तमान शाखा	चाही गई शाखा

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नामः .... Format : **BRC-4**

....कोड......................

शाखा परिवर्तन के पश्चात् शाखावार विद्यार्थियों की स्थिति

क्र.सं.	शाखा*	प्रवेश क्षमता**	शाखा परिवर्तन से पूर्व पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	शाखा परिवर्तन के पश्चात् विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5 (कॉलम 3 से अधिक नहीं हो)

*शाखा परिवर्तन से प्रभावित हो रही समस्त शाखाओं का विवरण प्रस्तुत किया जावे।

**प्रथम वर्ष की प्रवेश क्षमता में TFWS के स्थान जोड़ने के उपरान्त संख्या।

प्रमाणित किया जाता है कि सभी आवेदन पत्रों की जॉच कर ली गई है। द्वितीय वर्ष में शाखा परिवर्तन चाहने वाले विद्यार्थी प्रथम वर्ष की परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं। शाखा परिवर्तन नियमानुसार किया गया है। सभी आवेदक विद्यार्थियों की डाउनलोडेड अंकतालिका संलग्न है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
( )	( )	( )
समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

उक्तानुसार शाखा परिवर्तन के प्रस्ताव निदेशक महोदय के अनुमोदनार्थ प्रेषित हैं। प्रमाणित किया जाता है कि निदेषालय के अनुमोदन के पश्चात् ही परिवर्तित शाखा में विद्यार्थियों को अध्ययन की अनुमति दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
(हस्ताक्षर मय सील)

दूरभाषः..

ई–मेलः..